सं 0 17-1/2016-17/विज्ञापन

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय(उच्चतर शिक्षा विभाग)

पश्चिमी खंड-7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

शिक्षा पुरस्कार योजना वर्ष, 2016

केंद्रीय हिंदी निदेशालय , उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार हिंदी में शिक्षा विषयक मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष एक - एक लाख रुपए के पाँच पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष, 2016 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

विषय क्षेत्र :-

योजना के अंतर्गत ज्ञान के विविध क्षेत्रों यथा, समाजशास्त्र, मानविकी, बेसिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा आदि शिक्षा संबंधी विषयों पर हिंदी तथा हिंदीतर भाषी लेखकों की मूलरुप से हिंदी में लिखित उत्कृष्ट मौलिक तथा चिंतनपरक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। सृजनात्मक साहित्य, पाठ्य - पुस्तकों, अनूदित पुस्तकों तथा शोध प्रकाशनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पांडुलिपियां स्वीकार्य नहीं हैं।

पात्रता : -

भारत के किसी भी क्षेत्र के लेखक या उनकी ओर से प्रकाशक इस योजना के अंतर्गत अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अथवा विदेशी भी इस योजना में भाग ले सकते है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के पात्र नहीं हैं। भारत सरकार के अन्य मंत्रालय/कार्यालयों/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग की अनुमति लेकर इस योजना में भाग ले सकते हैं।

नियम :

1. योजना के अंतर्गत वर्ष, 2011 से 2015 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
2. प्रकाशित पुस्तकें कम से कम 200 पृष्ठों की होनी अनिवार्य है।
3. योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कृत लेखक पुनः विचारणीय नहींहैं।
4. योजना के अंतर्गत भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित उपक्रमों /संस्थानों अथवा राज्य सरकारों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किसी कृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।
6. विवरण पत्र के साथ पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजना अनिवार्य है।
7. इस योजना में पांडुलिपियों पर विचार नहीं होगा।
8. पुस्तक की पाँच प्रतियों में से तीन प्रतियों पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग हटा दिया जाए तथा निदेशालय को भेजने से पूर्व उन प्रतियों की पुनः जिल्दबंदी करा दी जाए। शेष दो प्रतियाँ सामान्य रुपाकार में ही भेजें।

निर्धारित विवरण पत्र निदेशालय की वेबसाइट www.hindinideshalaya.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र तथा घोषणा पत्र के साथ पुस्तक की 5 प्रतियाँ 19-09-2016 तक अधोलिखित के पते पर पहुँच जानी चाहिए :-

सहायक निदेशक(विस्तार)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड-7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011-26105211-234,237